No complaint has been received regarding any disrespectful or derogatory references in these books towards other religions/heads of religions/religious communities. Appropriate action will be taken if and when any such complaint is received.

Rehabilitation of war Widows in Himachal Pradesh

5895. SHRI DURGACHAND : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) what is the number of war widows in each district of Himachal Pradesh; and

(b) what are the details of the scheme for their rehabilitation?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) The statistics are as follows :—

District	*No. of War widos*
Bilaspur	44
Chamba	16
Mandi	51
Kangra	204
Sirmur	6
Kinnaur	2
Una	50
Hamirpur. . .	98
Simla . . .	9
Solan	14
Kulu	3
Total	497

(b) In the wake of the December, 1971 conflict with Pakistan, a series of measures were taken to extend various benefits and facilities to the war berieved families, particularly to the war widows. The most significant part of the comprehensive rehabilitation scheme is the liberalised pension scheme under which the widow (or nominated heir) of a JCO/Other Rank killed in action, continues to receive the pay drawn by the deceased at the time of his death. An officer's widow receives pension at 3/4th of the basic pay last drawn by the officer, upto the deemed date of his retirement or for a period of 7 years, whichever is later. Thereafter the special family pension is payable at the rate of the normal retiring pension of the rank held by the officer at the time of his death. With the special family pension at the latter rate, children allowance at the rate of Rs. 100/- p. m. per child, upto the age of 23 years will also be payable, subject to certain ceiling limits. These benefits have also been extended to the casualiies of the conflicts earlier to 1971 but these are admissilbe from 1-2-1972.

Widows remarrying deceased husband's real brothers continue to be eligible for the liberalised rate of pension; in other cases of re-marriage, the widows are given a pension equal in amount to the ordinary family pension, as though the servicemen had died in normal circumstances.

Other re-habilitation measures are as under:—

(i) consideration for employment in Class III/IV posts upto two members of the family of the deceased without having to register with Employment Exchange;

(ii) The Himachal Pradesh Defence Security Relief Fund has sanctioned the construction of a Sainik Widows Home at Palampur in Kangra District; and

(iii) 42 Cutting-Cum-Tailoring and Embroidery Centres have been opened for imparting training (for these widows and other destitutes.)

(iv) Free education upto 1st Degree level.

(v) Allotment of uncultivated land at concessional rates.

(vi) Priority in grant of Housing loans.

(vii) Ex-gratia grant ranging from Rs. 2,000/- to Rs. 5,000/ depending on the rank of deceased in addition to the other terminal benefits.

हिन्दुस्तान अल्यूमीनियम कारपोरेशन को बिजली की सप्लाई

5896. श्री मनोहर लाल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान अल्यूमिनियम कारपोरेशन (हिन्दालको) को बिजली सप्लाई में कटौती करके बिजली की सप्लाई 85 मेघावाट से 10 मेघावाट कर दी गई है ; और

(ख) क्या इसे सप्लाई की जाने वाली बिजली की दर में भी वृद्धि कर दी गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार के 2 जून, 1977 के एक आदेश के अनुसार, हिन्दालको को 85 मेघावाट को सामान्य सप्लाई बन्द कर दी गई थी किन्तु कम्पनी की 60 मेघावाट तक की अवलम्ब रूप तथा आपाती सहायता रूप सप्लाई लेने की अनुमति थी। 60 मेघावाट तक बिजली लेने के प्राधिकार के स्थान पर कम्पनी को स्टेंडबाई और इमर्जेन्सी एग्रीमेंट के अन्तर्गत वास्तव में केवल 10 मेघावाट बिजली लेने की ही अनुमति दी गई। परन्तु हिन्दालको के केप्टिव विद्युत केन्द्र रेणुसागर विद्युत केन्द्र की 60 मेघावाट की एक यूनिट अनुरक्षण के लिए बन्द हो जाने के फलस्वरूप, कम्पनी को अवलम्ब रूप 60 मेघावाट बिजली लेने की अनुमति दे दी गई है। हिन्दाल को को दी जा रही अवलम्ब रूप तथा आपाती सप्लाई का विद्युत शुल्क बिजली की सामान्य सप्लाई की दर से अधिक है।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों से प्रति दिन लाभ और हानि

5897. **श्री चतुर्भुज** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम की प्रत्येक बस से औसत दैनिक आय कितनी होती है और बेकार पड़ी बसों से प्रतिदिन कितनी हानि हो रही है ; और

(ख) बसों की मरम्मत कराने, उन के रख-रखाव और उनके लिए पुर्जे उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और बसों की मरम्मत करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है ताकि वे ठीक होकर चलने लगें।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जून, 1977 में दैनिक औसतन आय प्रति बस 377 रु० थी। मरम्मत के लिए खड़ी बसों के कारण हुई हानि के आंकड़े अलग से नहीं निकाले गए हैं।

(ख) मरम्मत के लिए खड़ी बसों के लिए अपेक्षित फालतू पुर्जों और अन्य सामान की शीघ्र खरीद के लिए क्या प्रबन्ध किए जा रहे हैं। 1-7-77 के अनुसार बड़ी-बड़ी मरम्मतों के लिए 468 बसें खड़ी थीं। इनमें से दिसम्बर, 1977 के अन्त तक कम से कम 320 बसों की मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम से कहा गया है।

भारतीय वायु सेना के पदों के लिये अंग्रेजी की योग्यता

5898. **श्री मृत्युंजय प्रसाद वर्मा** :
डा० रामजी सिंह :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायु सेना के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों लिए अंग्रेजी की कितनी न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है ;

(ख) क्या साक्षात्कार के समय उम्मीदवार के लिए अंग्रेजी में उत्तर देना अनिवार्य है अथवा वह चाहे तो हिन्दी में भी उत्तर दे सकता है ;

(ग) क्या अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले उम्मीदवारों को नियुक्तियो में उन उम्मीदवारों की अपेक्षा कोई प्राथमिकता दी जाती है